

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3321  
जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....  
**पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर भूमि कटाव**

**3321. श्रीमती रचना बनर्जी:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में बालागढ़-गुप्तीपारा खंड सहित मालदा, मुर्शिदाबाद और हुगली जिलों में गंगा नदी के तटों पर भूमि कटाव के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को बालागढ़ और उसके आस-पास के क्षेत्रों में गंगा नदी के तटों पर कटाव को रोकने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए स्थानीय निकायों और जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त खंड पर भूमि कटाव के कारण बड़ी संख्या में गांव नक्शे से मिट गए हैं और लोग बैघर हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) बालागढ़-गुप्तीपारा खंड सहित हुगली में गंगा नदी के तटों पर भूमि कटाव को रोकने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

(क) से (घ): भूमि कटाव, गति और तलछट का जमाव नदी के प्राकृतिक नियामक कार्य हैं। नदियों की प्रवृत्ति बहाकर लाई गई गाद और जमा की गई गाद के बीच संतुलन बनाए रखने की होती है, जिससे नदी की व्यवस्था बनी रहती है। पश्चिम बंगाल में बालागढ़-गुप्तीपारा के खंड सहित मालदा, मुर्शिदाबाद और हुगली में गंगा नदी के कई खंड विभिन्न मात्रा में भूमि कटाव का सामना करते हैं।

बाढ़ प्रबंधन और भूमि कटावरोधी योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्र सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) द्वारा वर्ष 1986 में गंगा की मुख्य धारा के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई, जिसे वर्ष 2004 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बलागढ़ और संबंधित क्षेत्रों को शामिल करते हुए अद्यतन किया गया था तथा समग्र खंडों के संबंध में की गई सिफारिशों के साथ उसे राज्यों द्वारा बाढ़ संरक्षण तथा संबंधित क्षेत्रों में कटावरोधी कार्यों के संबंध में तैयार की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में इस्तेमाल किए जाने हेतु सूचित भी किया गया था।

हुगली संसदीय क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) श्रीमती रचना बनर्जी से एक अभ्यावेदन प्राप्त होने के पश्चात, माननीय संसद सदस्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में जीएफसीसी और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के एक दल ने दिनांक 16.01.2025 को हुगली नदी द्वारा भू-कटाव किए गए गुप्तीपाड़ा-बलागढ़ क्षेत्र का दौरा किया ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में पश्चिम बंगाल सरकार को मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

\*\*\*\*\*